

धारा 9 के अन्तर्गत पारित एक तरफा डिक्री को कैसे अपास्त कराया जा सकता है ?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सँतुष्ट होने के लिए पंच नदी बाई बनाम सौम्य राम शोनी के मामले में कोर्टोपलक्ष्य द्वारा किया गया निर्णय को अवश्य देखा जागा चाहिए। इस वाद में मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध धारा-9 में दमपत्य अधिकारों के प्रत्याख्यान की याचिका दायित्व की गई। पत्नी पर सनन की पर्याप्त तामिल होने के बाद भी वह न्यायालय द्वारा मुकदर तिवि 25-8-82 को उपस्थित नहीं हुई और तत्पचाह न्यायालय ने एकतरफा सुनवाई का आदेश पारित किया। दिनांक 7-10-82 को एक तरफा शब्ध लेने के पश्चात् याचिका पर उची पिन एक तरफा डिक्री पारित करने का आदेश किया गया। इसके बाद दिनांक 10-12-82 को पत्नी द्वारा एकतरफा डिक्री को अपास्त करने का आवेदन इस आधार पर किया गया कि यह एकतरफा डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा में आती है जिसका आदेश 9 नियम 13 में अपास्त किया जा सकता है। चूँकि एक तरफा डिक्री को अपास्त करने के लिए परिधीन अधिनियम के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत 30 दिन के अन्दर आवेदन देना आवश्यक है अन्यथा परिधीन के बाद आवेदन की देरी को अधिनियम की धारा-5 में माफ करवाना आवश्यक है जिसके फलस्वरूप पति द्वारा एकतरफा डिक्री को आदेश 9 नियम 13 में अपास्त करने के आवेदन के साथ परिधीन अधिनियम की धारा 5 में भी देरी की माफी का आवेदन दिया गया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 9 में पारित एक तरफा डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(2) में डिक्री है जो कि आदेश 9 नियम 13 में अपास्त की जा सकती है।

P-2 चार 9 के अर्न्तगत पारित एक तरफा डिक््री को -
कैसे अपास्त कराया जा सकता है?
अतः ऐसी एक तरफा डिक््री को अपास्त करने के
लिए यह आवश्यक है कि वह परिशीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123
में दी गई 30 दिन की परिशीमा के अर्न्तगत हो. अन्यथा परिशीमा
समाप्त होने के बाद की देरी को युक्तियुक्त कारण से माफ कर दिया गया
हो। आप देखें बीना शानी बनाम चर्मपाल के मामले में विचारण न्यायालय
द्वारा चार 9 के अर्न्तगत दायर याचिका में पारित डिक््री को अपास्त
करने हेतु पत्नी की ओर से आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश
9 नियम 13 में दिया गया। यह आवेदन निर्धारित परिशीमा में था।
परन्तु विचारण न्यायालय ने डिक््री को अपास्त करने के लिए दिये
गये कारण को युक्तियुक्त न मानते हुए आदेश 9 नियम 13 के
आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उच्च न्यायालय पंजाब व हरियाणा
ने विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हुए यह मत
व्यक्त किया कि वैवाहिक मामलों में दोनों पक्षकारों की सुनने का
अवसर दिये जाने के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्धारण
करना उचित एवं न्यायसंगत है।